उत्तर प्रदेश शासन
लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2
सं0-42/2015/527/62-2-2015-04एम0आई0/2014
लखनऊ: दिनांक: 17 मार्च,2015

कार्यालय ज्ञाप

लघु सिंचाई जनपद जालौन के विकास खण्ड-डकोर में बरती गयी अनियमितताओं हेतु प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के फलस्वरूप श्री अभिराम प्रसाद वर्मा तत्कालीन सहायक अभियंता, जनपद जालौन स्थान उरई सम्प्रति अधिशासी अभियंता, सम्बद्ध लघु सिंचाई मुख्यालय, उ0 प्र0 लखनऊ के विरूद्ध सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अन्तर्गत् आरोप पत्र देते हुए अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए श्री पी0 के0 श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई मुख्यालय, उ0 प्र0 लखनऊ को जॉच अधिकारी नामित किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि प्रश्नगत मामले की जॉच एक माह के भीतर पूर्ण कर अपनी जॉच आख्या शासन में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

चन्द्र प्रकाश,
प्रमुख सचिव।

सं0-42/2015/527(1)/62-2-2015,तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- श्री पी0के0 श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई मुख्यालय, उ0 प्र0 लखनऊ/जॉच अधिकारी को श्री अभिराम प्रसाद वर्मा के विरूद्ध अनुमोदित आरोप पत्र मयसाक्ष्य की 10 प्रतियां इस आशय से प्रेषित कि वे आरोप पत्र पर हस्ताक्षर करने के पश्चात आरोप पत्र संबंधित अपचारी अधिकारी को तामिल कराते हुए उसकी सूचना शासन को उपलब्ध करायें।

3- संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली में रखे जाने हेतु।

4- संबंधित अधिकारी द्वारा मुख्य अभियंता।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।